फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मेरापुर

दिनांक :- 27-06-2025

थाना मेरापुर पुलिस द्वारा 12 घण्टे के अन्दर हत्या का खुलासा कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री हरीश चन्दर** के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्रीमती आरती सिंह** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के कुशल नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेरापुर पर दिनांक 26/06/2025 को पंजीकृत मु0अ0सं0 84/2025 धारा 103(1) बीएनएस के सम्बन्ध में थाना मेरापुर पुलिस को शीघ्र घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था । उपरोक्त के क्रम में थाना मेरापुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियोग से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त 1. भूरे उर्फ समरवीर को 12 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

भूरे उर्फ समरवीर पुत्र जगवीर निवासी साहबगंज थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद उम्र करीब 37 वर्ष

Scanned with CamScanner

घटना का संक्षिप्त विवरण:- अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वादी श्री रामनरेश सिंह पुत्र वद्री सिंह निवासी साहवगंज थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद के पुत्र नितिन के सिर में चोट पहुँचाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध मे दिनांक 26.06.2025 को प्रार्थना पत्र थाना हाजा पर प्राप्त हुआ उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल थाना हाजा पर मु0अ0सं0- 84/2025 धारा- 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । दौराने विवेचना अभियुक्त भूरे उर्फ समरवीर उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया। मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वाँछित अभियुक्त को थाना मेरापुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त भूरे उर्फ समर वीर पुत्र जगवीर निवासी साहबगंज थाना मेरापुर जनपद फर्रुखावाद से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बिना किसी भय लोभ लालच के अपने अपराध को स्वीकार करते हुये घटना के सम्बन्ध मे बताया कि मै ग्राम साहबगंज का रहने वाला हूँ हमारे गांव के ही रामू उर्फ नितिन पुत्र राम नरेश मुझसे पहले से ग्राम प्रधान के पुत्र शेर सिंह के साथ रहकर पंचायत सचिव का काम देख रहा था नितिन मुह फट किस्म का आदमी था। इसी बात को लेकर हम दोनों मे अनवन रहती थी, जब 8-10 आदमी इकट्ठा होते थे तो नितिन उर्फ रामू मेरी लोगो के सामने बेइज्जती कर देता था की तू प्रधान की गुलामी करता है मैं प्रधान के काम की देखभाल करता था। जिसके बदले प्रधान से कुछ रुपये मुझे मिल जाते थे। जिससे मेरा सही खर्चा चल जाता था, इसी बात को लेकर दिनांक 25/06/2025 को शाम के समय कमलेश के घर के सामने व रामू गेस्ट हाउस में व गोशाला के पास व गनेशपुर चौराहा के पास नितिन उर्फ रामू ने (1) अनुराग (2) अरविन्द (3) संजय (4) रावेन्द्र उर्फ रामू के सामने मेरी बेइज्जती की थी तभी मैने ठान लिया था कि आज नितिन उर्फ रामू को ठिकाने लगाना है नितिन को जिन्दा नही छोड़ना है। यह सोच कर मैं बरसी से जान बूझकर रामू गेस्ट हाउस से देरी से गाँव लौटा और प्रधान के घर पर सो गया फिर रात को करीब 01:00 बजे मैं उठा मैने देखा की गांव के सब लोग सो रहे थे मै दवे पाव नितिन के घर के पास आया मुझे पहले से ही मालूम था कि नितिन का नया मकान बन रहा है एवं नितिन उपरोक्त मकान के बाहर खुले में अकेला चारपाई पर सोता है मैं वहाँ पहुँचा तो नितिन गहरी नींद में सोया था । बन रहे मकान में जगह-2 ईंट पडी थी। मैंने एक साबूत ईंट उठाई और आस पास देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है जब मुझे यकीन हों गया कि मुझे कोई नही देख रहा है तो मैने अपने हाथ मे पकड़ी हुई साबूत ईंट का एक भरपूर वार सोये हुए नितिन के सिर पर किया जिस से नितिन चिल्ला भी नही पाया और मैने लगातार कई बार ईंट से नितिन के सिर व चेहरे पर वार किया जब तक की मुझे यकीन नही हो गया की नितिन मर गया है।

Scanned with CamScanner

तब मै वहाँ से जिस ईंट से मैने नितिन की हत्या की थी उस ईंट को अपने हांथ मे लेकर धीरे धीरे दवे पाव अपने घर की ओर चला गया मेरे कपड़ो पर भी नितिन का खून जगह जगह लग गया था ईंट को मैने घर के रास्ते मे पाखड़ के पेड़ के पहले वाई तरफ घूरे पर फेंक दिया उस स्थान का मुझे ही पता हैं फिर मैं मास्टर स्व0 राम बाबू के खाली मकान पर पहुँचा जिस की छत पर मैने अपनी मक्का सुखाने के लिए राम बाबू की भाभी मुन्नी w/o बलवीर से चाबी ले रखी थी वही पर मैने पहने हुये कपड़े उतार कर एक कोने मे छुपा दिये व वही पहले से रखे हुए दूसरे कपड़े पहन लिये कपड़े जहा पर रखे है। घटना मे प्रयुक्त ईंट व उसके द्वारा पहने हुये कपड़े जिन पर हत्या करते समय नितिन का खून लग गया था एवं जिन्हें घटना के बाद छिपा दिया गया था अभियुक्त की निशांदेही पर बरामद कर लिया गया है।

बरामदगी का विवरणः-

1. घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने हुए रक्त रंजित कपड़े
2. आला कत्ल 01 अदद सावुत ईट रक्त रंजित

अभियुक्त भूरे उर्फ समरवीर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 84/2025 धारा 103(1) बीएनएस थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

1.थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र चौधरी थाना मेरापुर
2.का0 योगेन्द्र कुमार थाना मेरापुर
3.का0 अवधेश कुमार थाना मेरापुर

गिरफ्तार करने वाली सर्विलास पुलिस टीम -

1. प्रभारी उ0नि0 श्री दीपक भाटी
2. हे0का0 सचेन्द्र सिंह चौहान
3. हे0का0 अनुराग कुमार
4. हे0का0 संदीप राव

मीडिया सेल फतेहगढ़

CS Scanned with CamScanner